प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमति मंजू सोंलकी पत्नि राजेन्द्र सोलंकी शिवाजी नगर कॉलोनी जालोर		राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार जालोर
प्रकरण अपील		/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

14.05.2019	अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 30.05.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	
30.05.2019	अपीलांट व रेस्पोडेन्ट उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) जालोर का जवाब डाक से प्राप्त हुआ। आज दोनों पक्षों को सुना गया। आवेदक द्वारा आज प्रस्तुत लिखित अतिरिक्त कथन भी शामिल पत्रावली किये गये। राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जालोर) ने अपने लिखित जवाब में व्यक्त किया है कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र दिनांक 02.04.2019 को प्राप्त होने पर अपीलांट को जरिए पत्रांक 997 दिनांक 01.05. 2019 को सूचित किया जा चुका है। आवेदक (अपीलार्थी) को तहसीलदार जालोर द्वारा प्रेषित जवाब में जिसकी प्रति इस अपील में उत्तर स्वरूप पेश की गयी है, में यह वर्णित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा (6)(1) के तहत चाही गयी सूचना प्रश्नवाचक है। अधिनियम के प्रावधान के तहत प्रश्नोत्तर के रूप में सूचना देय नहीं होने का उल्लेख भी किया, यह भी लिखा कि जो सूचना कार्यालय में उपलब्ध है वही दी जा सकती है। जवाब मे यह भी वर्णित किया कि आवेदित सूचना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जैसे कि कमांक/दिनांक/पत्रावली संख्या/वर्ष अंकन कर आवेदन कर सकते है। अपीलार्थी ने अतिरिक्त लिखित कथन में तहसीलदार जालोर द्वारा वर्णित जवाब पर आपत्ति प्रकट करते हुये लिखा कि आवक जावक रजिस्टर में पत्रावलियों का विवरण दर्ज होगा। यह भी लिखा कि जवाब विरोधाभाषी है। अपील तथा प्रत्युत्तर एवं दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् निष्कर्ष यह है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन दिनांक 02.04.19 का अप्रार्थी द्वारा पत्रांक दिनांक 01.05.2019 द्वारा जवाब दे दिया गया था। अप्रार्थी तहसीलदार जालोर द्वारा जवाब में वर्णित कथनों से यह स्पष्ट है कि पत्रावलियां जिनके संबंध में सूचना चाही गयी है उनका विशिष्ट विवरण अंकित किये बिना आवेदन किया गया। अलग-अलग समयों में प्राप्त पत्रावलियों बाबत स्वयं अप्रार्थी विभाग द्वारा पृथक से सूचना संधारण कर सूचना उपलब्ध कराना अत्यधिक श्रम साध्य एवं सूचना के अधिकार के तहत प्राविधित नही है। आवेदक/ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना बाबत् विशिष्ट विवरण अंकित करने पर यथा उपलब्ध सूचना उपलब्ध कराने का ही प्रावधान है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी (प्रार्थीया) की उक्त अपील अस्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.09 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested